अनुमोदनार्थ

(2) ... वित्तीय नियम... (3) सम्बन्धित ... तकनीकी ... प्रगति ... (4) ...

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः- 3920 /28 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2024-25

दिनांकः- 03/01/2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता, (आहरण एवं वितरण अधिकारी)
निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत/डीडीहाट/अस्कोट।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गो के पुर्ननिर्माण तथा सुधार हेतु आवंटन।

सन्दर्भः- शासनादेश संख्या I/214743/2024 ई0पत्रावली संख्या -17608 दिनॉक 31/5/2024

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.05.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या - 22, लेखाशीर्षक- 5054-04-337-05-00-53 (पूँजीगत) बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गो के पुर्ननिर्माण मद में मूल बजट प्राविधान ₹ 1500.00 लाख के सापेक्ष ₹ 1500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गो के पुर्ननिर्माण/मरम्मत मद के अन्तर्गत क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा, के द्वारा धनावंटन हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों की प्राविधिक जांच एवं परीक्षण "प्राविधिक वर्ग" कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा किये जाने के उपरान्त प्राविधिक वर्ग के द्वारा संस्तुत धनराशि के कम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ एवं भूस्खलन योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार कुल ₹ 76.99 लाख (₹ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि इंगित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क0 सं0	अनुमोदित /स्वीकृत कार्य का नाम	खण्ड का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	आगणन की लागत	प्राविधिक वर्ग की जॉचोपरान्त आगणन की लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाढ़ एवं भूस्खलन के अन्तर्गत शहीद शिरोमणी चिल्कोटी मोटर मार्ग (गौडी किमतोली मोटर मार्ग) के किमी 7.000(6.400-6.500 और 6.600-6.700) में क्षतिग्रस्त भाग में दीवार/सुरक्षात्मक कार्य।	प्रा ख0, चम्पावत	चम्पावत	24.87	24.87	24.87
2	बाढ़ एवं भूस्खलन के अन्तर्गत शहीद शिरोमणी चिल्कोटी मोटर मार्ग (गौडी किमतोली मोटर मार्ग) के किमी 6.100 में स्थित पुल की पहुंच में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनःनिर्माण कार्य।	प्रा ख0, चम्पावत	चम्पावत	18.85	18.85	18.85
	योग प्रान्तीय खण्ड चम्पावत			43.72	43.72	43.72
3	बाढ़ एवं भूस्खलन मद (वर्ष 2024-25) के अन्तर्गत डीडीहाट सिराकोट मोटर मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य।	प्रा ख0, डीडीहाट	डीडीहाट	14.80	14.80	14.80
	योग प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट			14.80	14.80	14.80
4	बाढ़ एवं भूस्खलन (एस0आर0एम0डी0) 2024-25 के अंतर्गत लीमाटौडा मोटर मार्ग के किमी0 1 चैनेज (0.700-0.800) में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्न निर्माण/मरम्मत कार्य।	नि0 ख0, अस्कोट	43 डीडीहाट	4.71	4.71	4.71
5	बाढ़ एवं भूस्खलन (एस0आर0एम0डी0) 2024-25 के अंतर्गत लीमाटौडा मोटर मार्ग के किमी0 2 चैनेज (1.100-1.200) में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्न निर्माण/मरम्मत कार्य।	नि0 ख0, अस्कोट	43 डीडीहाट	9.51	9.51	9.51
6	बाढ़ एवं भूस्खलन (एस0आर0एम0डी0) 2024-25 के अंतर्गत पीपली वगडीगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 चैनेज (0.00-0.050) में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्न निर्माण/मरम्मत कार्य।	नि0 ख0, अस्कोट	43 डीडीहाट	4.25	4.25	4.25
	योग निर्माण खण्ड अस्कोट			18.47	18.47	18.47
	कुल योग (क्रमांक 1से 6 तक)-:			76.99	76.99	76.99

आवंटन की शर्तेः- (1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गो के पुर्ननिर्माण मद के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल आवंटित धनराशि, ₹ 76.99 लाख का व्यय स्वीकृत कार्य में कार्य की आवंटन लागत की सीमान्तर्गत एवं नियमानुसार व्यय की जायेगी, किसी भी दशा में आवंटित धनराशि अन्य कार्यों/मदों में व्यय नहीं की जायेगी और न ही कार्यवार आवंटन से अधिक के वित्तीय दायित्व सृजित किये जायेगें।

(क्रमशः पृष्ठ सं0-2 पर)

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवार स्वीकृत/अनुमोदित कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रचलित तकनीकी मानकों के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2025 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा बाढ एवं भूस्खलन मद में प्राप्त आवंटन के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारीयों के स्तर से आवश्यक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए स्वीकृत कार्यों का सम्पूर्ण विवरण यथाः कार्य का स्थलीय फोटोग्राफ, कार्य की पाक्षिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र, पाक्षिक रूप से (माह की 5 तारीख तक) इस कार्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवार अब आवंटित धनराशि के उपयोग में वित्तीय मितव्ययता का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ बाढ़ एवं भूस्खलन योजना के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत कार्य किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष हेतु अपूर्ण नही रखे जायेंगे और न ही कार्यो से सम्बन्धित वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान हेतु लम्बित रखे जायेंगे। स्वीकृत कार्य इस वित्तीय वर्ष मे पूर्ण न कराये जाने तथा कार्यो के वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष हेतु अवशेष रखे जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अवशेष वित्तीय दायित्वों हेतु स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे, जिनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आवश्यक कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) आवंटित धनराशि अन्य कार्यो/प्रयोजन में व्यय किये जाने अथवा व्ययावर्तन किये जाने, कार्यवार आबंटन से अधिक का व्यय किये जाने/अतिरिक्त दायित्व सृजित किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान किये जाने तथा नियमविरूद्ध व्यय किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी माने जायेंगे जिनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से कठोरतम् अनुशासनात्मक व दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय तथा कार्य कराते समय टैण्डर विषयक समस्त सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित) में निहित समस्त शर्तो/वित्तीय प्राविधानो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित/चयनित कार्यो की दोनो स्टेजो (Stages)में अर्थात कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासंम्भव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्यो का पुर्ननिर्माण/मरम्मत किये जाने के दौरान अधीक्षण अभियन्ता का स्थलीय निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक होगा।

(9) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता की जांच एवं किये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन, रेण्डम (Random)आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी, विभागीय स्तर एवं शासन स्तर से किया जाना प्रस्तावित है।

(10) उपर्युक्त सन्दर्मित शासनादेश दिनॉक 31/5/2024 में निहित समस्त शर्तो / वित्तीय प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक– 5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूॅजीगत परिव्यय– 04 जिला तथा अन्य सडकें– 337 सड़क निर्माण कार्य– 05 बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गो का पुर्ननिर्माण– 00– 53 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– 1–एलोटमेन्ट आई0डी0 सं0 (Allotment ID).........................।

(इं0 राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

02/01/25

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
(2) सचिव, लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
(3) मुख्य अभियन्ता, (नियोजन/तकनीकी वर्ग) कार्या0 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
(4) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
(5) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
(6) अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
(7) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत/डीडीहाट/अस्कोट ।

संलग्नः– डी0डी0ओ0वार एलोटमेन्ट आई0डी0 सं0 (Allotment ID)..................................।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एंवविभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड